संख्या-88/2020/2334/सैंतीस-2-2020-1(1)/2014

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-20 नवम्बर, 2020

विषयः- **पशु रोग नियँत्रण योजना (60 प्रति0के0पो0) (कम्पोनेन्ट) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-219/सा0-1/एक्स-120(4)/एस्कैड-एससीएसपी/2020-21, दिनांक-05.10.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के सापेक्ष अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.) के निम्नलिखित मानक मदों में कुल रू0-550.00 लाख (रूपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र) (केन्द्रांश रू0-374.00 लाख+राज्यांश रू0-176.00 लाख) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

मानक मद	**स्वीकृत धनराशि (लाख में)**
04-यात्रा व्यय	36.00
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	10.00
15-गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	36.00
18-प्रकाशन	0.02
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.02
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	20.00
29-अनुरक्षण	0.20
39-औषधि तथा रसायन	20.00
42-अन्य व्यय	0.10
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	425.00
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.40
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1.26
योग-	**550.00**

(रूपये पाँच करोड़ पचास लाख मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस.सी.एस.पी. हेतु निर्धारित मानकों/अनुमोदित कार्ययोजना एवं मदों में भारत सरकार द्वारा योजना हेतु निर्धारित गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस मद/कार्य हेतु दी जा रही है उसका उपयोग उन्हीं मदों/कार्यों में किया जायेगा। अन्य किसी मद अथवा कार्य हेतु यह अनुमन्य नहीं होगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार अथवा फेजिंग में किया जायेगा।

(6) आंकड़ों की शुद्धता का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(7) योजनान्तर्गत वस्तुओं/सामग्रियों आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा वित्त विभाग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट ऑफ गुड्स) 2016 एवं शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नीति का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। प्रकाशन एवं मुद्रण के सम्बन्ध में सूचना विभाग द्वारा निर्गत तथा अन्य सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

(8) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं दिनांक-18.05.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-'2403-पशुपालन-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-पशु रोग नियंत्रण योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)' की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-902/दस-2020, दिनांक-18.11.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प0सं0-88/2020/2334(1)/सैंतीस-2-2020- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. संयुक्त सचिव, पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन एवं दुग्ध मँत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी/जिलाधिकारी।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/नियोजन अनु0-3 ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in